Dr. Bagya Rai, Asst. Prof. Pol. Sc.
Maharaja College
BA-1, Paper-2, Unit-8 (C)

अधिकार की विशेषतायें या आवश्यक तत्व - Part-1

(1) अधिकार व्यक्ति या व्यक्ति समूह की माँग है - व्यक्ति के विकास के लिये कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है जिनकी पूर्ति पर ही मानवीय विकास निर्भर करता है। व्यक्ति इन सुविधाओं को मांग के रुप में समाज

के सामने रखता है। समाज से स्वीकृति मिलने पर ही इन मांगों को अधिकार का रुप मिलता है।

(2) सामाजिक मान्यता - समाज के बिना अधिकार की कल्पना हम नहीं कर सकते। कोई भी

बुधवार Wednesday 5

मानव अधिकार, जब तक उसको समाज की स्वीकृति नहीं प्राप्त हो जाती तब तक वह अधिकार का रूप नहीं धारण कर सकता। समाज द्वारा ~~एक~~ स्वीकृत अधिकारों को ही राज्य मान्यता देता है।

(3) समानता — यदि समानता न हो तो अधिकारों का कोई मूल्य या महत्व

गुरूवार Thursday 6

नहीं है। समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होना चाहिये। समानता अधिकार का मूल तत्व है।

(4) नैतिकता और सामाजिक सदाचरण — मांग को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से

समाज के सामने रखना चाहिये जैसे जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार तथा धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार। इसके विपरीत मद्यपान, व्यभिचार और आत्महत्या संबंधी मांगें अनैतिक एवं सामाजिक सदाचरण के विपरीत हैं। अतः इन्हें अधिकार का रूप नहीं दिया जा सकता।

7 शुक्रवार Friday

8 शनिवार Saturday

9 रविवार\Sunday